भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1916**

**01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत**

**"विद्युत वाहनों के कच्चे माल/घटकों का मूल्य बढ़ाना"**

**1916. श्री संजय काका पाटील:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती कीमत और सेमी-कंडक्टरों की आपूर्ति में बाधा जैसे अन्य मुद्दों ने ऑटोमोबाइल ओईएम और सहायक कंपनियों को अपनी कीमतों में वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केन्द्र के रूप में देखने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन बढ़ाने हेतु ऑटोमोबाइल कंपनियों की सहायता करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग राज्य मंत्री**

**(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)**

(क): जी हाँ। कोविड-19 महामारी के दौरान सेमी-कंडक्टर चिप की कमी थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबिल एसोसिएशन (सिआम) से प्राप्त सूचनानुसार, यह देखा गया है कि वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्तिकर्ताओं ने अपने-अपने विनिर्माण की गति तेज़ कर दी है क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियों को हाल-फिलहाल तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वस्तुओं की कीमतें भी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम हो रही हैं।

(ख) और (ग): सरकार ने भारत में ऑटोमोबिल क्षेत्र के संवर्धन के लिए ये तीन स्कीमें शुरू की हैं -

(i) सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 में शुरू की और वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। फेम-II के इस चरण में 7,090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55,000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के ख़रीदारों को सब्सिडी के माध्यम से

सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण हेतु सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्कीम का विवरण http://fame2.heavyindustries.gov.in/index.aspx पर है।

(ii) सरकार ने उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया ताकि देश में उनके विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम का बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इस स्कीम में 50 गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी बैटरी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। स्कीम का विवरण https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2487 पर है।

(iii) ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के अंतर्गत ऑटोमोबिल उद्योग को भी आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जिसे 15 सितंबर 2021 को 5 वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से अनुमोदित किया गया है। पीएलआई ऑटो स्कीम का विवरण भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट https://heavyindustries.gov.in/UserView/index?mid=2482 पर है।

***